राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

(अम्बेडकर भवन, जी–3/1, राजमहल पैलेस के पीछे, जयपुर–302005)

क्रमांकःएफ.1(3)( )/स्था/सान्याअवि/20/ 3072 जयपुर, दिनांकः 30/6/20

आदेश

स्व0 श्री आशुमित्र सिंह देव, सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के पुत्र श्री इन्द्रजीत सिंह देव जिनकी (St.Xavier's college, Hathroi Fort Road, Jaiput के Transfer Certificate No. 2018-19/2847 Dated 15-12-2019 के अनुसार) जन्मतिथि (एक जनवरी, उन्नीस सौ छियानवे) 01.01.1996 है। इनकी शैक्षणिक योग्यता स्नातक है, को राजस्थान मृत–सरकारी कर्मचारी के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम–1996 के तहत विभाग में कनिष्ठ सहायक पद के वेतनमान पीबी–2, 5200–20200 ग्रेड–पे– 2400 (पे मैट्रिक्स–एल–5) में निदेशालय विशेष योग्यजन, राज0, जयपुर में पदभार सम्भालने की तिथि से अस्थाई तौर पर कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्त कर अस्थाई आधार पर कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 20.01.2006 एवं वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक प015(1)वित्त/नियम/2017 दिनांक 30.10.2017 के अनुसार कनिष्ठ सहायक के पद पर दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (Probationer- trainee) के रूप में नियत पारिश्रमिक 14600/–प्रतिमाह एवं तत्पश्चात् पे–मैट्रिक्स लेवल संख्या–5 पर अघोलिखित शर्तो पर कार्यभार सम्भालने की तिथि से एतद्द्वारा नियुक्त किया जाता है :–

उक्त नियुक्ति निम्नलिखित शर्तो के अधीन की जा रही है:–

1. इनको आदेश जारी होने की दिनांक से 15 दिवस के अन्दर अपने पद का कार्यभार सम्भालना होगा। किसी कारणवश 15 दिवस में उक्त पद का कार्यभार संभालने में असमर्थ हो तो पूर्ण विवरण के साथ कारण स्पष्ट करते हुए निम्नहस्ताक्षरकर्त्ता को सूचित कर देवें कि वे कब तक कार्यभार संभालेगें। निर्धारित अवधि में कार्यभार नही संभालने अथवा कोई उत्तर प्राप्त नही होने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी।
2. इनको कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व नियत वेतन (Fix Pay) पर कार्य करने की अपनी सहमति लिखित रूप में प्रस्तुत करनी होगी।
3. उक्त नियुक्ति सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के परिपत्र एफ11/एसटी एससी ओबीसी एसबीसी/जा.प्र.प./सान्याअवि/2015/54159 दिनांक 09.09.2015, पत्रांक 63606–726 दिनां 20.10.2015 एवं प011(204)आरएण्डपी/डीडीबीसी/ सान्याअवि/2011 /68999–69032 जयपुर दिनांक 11.11.2016 में वर्णित दिशा निर्देशो/सत्यापन के अध्यधीन पूर्णतया अस्थाई रूप से रहेगी।
4. परिवीक्षा काल (Probation Period) में इन्हें कोई वार्षिक वेतनवृद्धि देय नहीं होगें।
5. दो वर्ष की परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के उपरान्त ही इनका वेतन निर्धारण कनिष्ठ सहायक के पद पर पे–मेट्रिक्स लेवल संख्या–5 में नियमानुसार वेतन उस पर अन्य भत्ते देय होगें।
6. परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में अन्य सुविधा या अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों में संशोधित प्रावधानों के अनुरूप देय होगें।
7. इनका कार्य एवं आचरण परिवीक्षा अवधि में कभी भी अथवा परिवीक्षाकाल की समाप्ति पर संतोषप्रद नही पाया गया तो उन्हें बिना किसी क्षतिपूर्ति के सेवा से किसी भी समय विमुक्त किया जा सकेगा।

8. राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश संख्या एफ 13(1) एफडी/रूल्स/2003 दिनांक 28.01.04 एवं 27.03.2004 के तहत अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधान लागू होगें एवं अन्य आदेश जो राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये हो उनके अधीन ही सेवालाभ देय होगें।
9. उक्त नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों/परिपत्रों के अन्तर्गत शामिल होगी एवं समय–समय पर जारी किये गये निर्देश/परिपत्र लागू होगें।
10. कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र दिनांक 15.05.2018 की अनुपालना में पुलिस विभाग द्वारा प्रेषित चरित्र सत्यापन रिपोर्ट में कोई भी विपरीत तथ्य पाये जाने पर चयनित अभ्यर्थी की इनकी नियुक्ति निरस्त करने का अधिकार होगा।
11. परीवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि के दौरान वित्त(नियम)विभाग की अधिसूचना संख्या एफ12(6)एफडी/रूल्स/05 दिनांक 13.03.2006, 6(6))एफडी/रूल्स/2005 दिनांक 13.03.2006, 1(2)एफडी/रूल्स/2006 दिनांक 13.03.2006, 13(1))एफडी/रूल्स /2003 दिनांक 13.03.2006 एवं राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतनमान) नियम, 2008 दिनांक 30.10.2017 के अन्तर्गत नियत पारिश्रमिक(Fixed Remuneration) के हकदार होगें इसके अतिरिक्त अन्य भत्ते यथा–मकान किराया भत्ता, महगांई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष वेतन आदि देय नही होगें। यह पारिश्रमिक माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ में हुए निर्णय के विरूद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में की गयी एस.एल.पी. 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्यधीन होगा।
12. सभी अभ्यर्थियों की जन्म तिथि उनके द्वारा प्रस्तुत सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण करने के मूल प्रमाण पत्र के आधार पर अंकित की गयी है। अंकित की गयी जन्म तिथि अपरिवर्तनीय होगी।
13. इनकी नियुक्ति तिथि कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यग्रहण की तिथि से मान्य होगी।
14. इनको कार्यभार सम्भालने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नही होगा।
15. इन्हें स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट एवं पुलिस विभाग से प्राप्त चरित्र प्रमाण पत्र एवं पूर्व–वृत सत्यापन प्रस्तुत नही करने पर नियुक्ति के पन्द्रह दिवस में अपने जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, से स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट एवं पुलिस अधीक्षक, से चरित्र प्रमाण पत्र एवं पूर्ववृत सत्यापन पत्र प्राप्त कर संबंधित कार्यालयाध्यक्ष को प्रस्तुत करेगें। जिसकी प्रति कार्यालयाध्यक्ष निदेशालय में भी भिजवायेगें।
16. ये सहायक प्रोफेसर, राजकीय मानसिक विमन्दित शिक्षण प्रशिक्षण केन्द्र, जामडोली, जयपुर को अपनी कार्यग्रहण रिपोर्ट प्रस्तुत करेगें।
17. ये अपने मूल दस्तावेज सत्यापन हेतु लेकर अपनी उपस्थिति नियुक्ति पत्र प्राप्ति के सात (07) दिवस में उनके सामने अंकित पदस्थापन कार्यालय में प्रस्तुत करेगें।

(द्वारका प्रसाद गुप्ता)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकःएफ.1(3)( )/स्था/सान्याअवि/20/3073-85 जयपुर, दिनांकः 30-6-20

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–
1. विशिष्ठ सहायक, मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक, विशेष योग्यजन विभाग, राज0, जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान,जयपुर।

5. निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक,(सतर्कता एवं प्रशासन), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान,जयपुर।
6. निदेशालय विशेष योग्यजन, राज0, जयपुर को भेजकर लेख है कि इनके मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, पूर्वाचरण का सत्यापन कर कार्यभार ग्रहण करावें एवं इनके मूल शैक्षणिक योग्यता प्रमाण (सैकण्डरी / सीनियर सैकण्डरी) पत्रों का केन्द्रीय शिक्षा बोर्ड से भी सत्यापन करवाकर रिपोर्ट निदेशालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।
7. कोषाधिकारी कोष कार्यालय, ... ।
8. संयुक्त निदेशक (आई.टी.), मुख्यावास को विभागीय बेबसाईड पर अपलोड करने एवं समस्त जिला अधिकारियों को ई–मेल करने हेतु।
9. प्रभारी, डी.पी.सी. / ए.सी.आर. प्रशाखा, मुख्यावास।
10. श्री इन्द्रजीत सिंह देव पुत्र स्व0 श्री आशुमित्रसिंह देव, ए.डी.1 / बी, देवी मार्ग, बनीपार्क, जयपुर को भेजकर लेख है, कि आप द्वारा दी गई सूचनायें यदि गलत पाई जाती है, तो नियुक्ति समाप्त कर दी जावेगी।
11. कार्यालय आदेश पत्रावली।

30/6/20

(जयनारायण मीणा)
अतिरिक्त निदेशक (सर्तकता एवं प्रशासन)